कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला – नारायणपुर (छ०ग०)

Telephone NO. 07781.252643 **Email ID – dwcdnarayanpur@gmail.com**

क्रमांक /426/ मबावि / स्था / 2026–27 नारायणपुर दिनांक 07/08/ 2026

"प्रेस विज्ञप्ति"

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–नारायणपुर अंतर्गत संचालित "सखी" वन स्टॉप सेंटर में स्वीकृत सेवाप्रदाताओं के **रिक्त पद क्रमशः (1) बहुउद्देशीय कर्मचारी / रसोईया –01, (2) सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड– 01, कुल 02 पदों** पर भर्ती किया जाना है। इस हेतु निर्धारित पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से **Walk in interview** किया जाना है, निर्धारित **दिनांक 21/08/ 2026 को प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे** तक अभ्यर्थी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकेंगे। विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – नारायणपुर (छ०ग०)

पृ०क्रमांक /426(A) मबावि /स्था / 2026–27 नारायणपुर दिनांक 07/08/ 2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग अटल नगर नवा रायपुर,की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला – नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक,जनसंपर्क विभाग की ओर स्थानीय / प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
6. जिला जनसंपर्क अधिकारी,जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन.आई.सी. नारायणपुर की शासकीय वेबसाइट www.narayanpur.gov.in में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – नारायणपुर (छ०ग०)

" वाक इन इन्टरव्यू हेतु विज्ञापन"

"सखी" वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदनों के लिए सूचना

संचालनालय महिला एवं बाल विकास छ0ग0 इंद्रवती भवन ब्लॉक 1 द्वितीय तल नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र कमांक 10478/मबावि/मसामि/सखी–4/2024–25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के अनुसार जिला नारायणपुर अंतर्गत संचालित "सखी" वन स्टॉप सेंटर में स्वीकृत सेवाप्रदाता के रिक्त पद कमशः **(1) बहुउद्देशीय कर्मचारी/रसोईया –01(2) सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड – 01, कुल 02** पदों पर भर्ती किया जाना है। इस हेतु निर्धारित पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों का आवेदन आमंत्रित किया जाना है। **दिनांक 21/08/2026 को प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक** अभ्यर्थी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकेंगे।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

S.n.	Position	Number of Staff	Monthly Service fee	Qualification	Rolrs & Responsibilities
01	Multi-purpose staff/cook	01	11720	• The Multi-purpose activity could be outsourcd to any person who is literate with/experience of working in the relvant domain. High School pass or equivalent will he preferred.	• Multi-purpose Helper will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She would be responsible for maintaining hygienc and sanitation at OSC. • It would be her responsibility to clean the toilets (daily at such frequency which keep it clean all the time), dispose the garbage,change the bedsheets, pillow covers (weekly) of shelter room. • She will offer water to the visitors, maintain visitor register, provide information on legal aid/police/ medical assistance sheet to the women. • She will provide besic Kit containing soap, comb, shampoo,sanitary pad, tooth brush, tooth paste, (in case of infants) and sewing kit to the woman who is availing the facility of temporary shelter at OSC. • She will help any other staff with referrals and do such other ancillary work as requested by the Center Administrator.
02	Security Guard/Night Guard	01	11360	• The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / para-military personnel.	Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. • She/he would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

चयन प्रकिया :-

01. प्राप्त आवेदनो के जांच पश्चात पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जायेगा।

02. "सखी" वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत रिक्त 02 पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

03. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

3.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों **Weightage** के देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.3 **राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।**

3.4 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।

3.5 **"वॉक-इन-इन्टरव्यू"** हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे, अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली /छत्तीसगढ/गोंडी/हल्बी का ज्ञान होना आवश्यक है, **"वॉक-इन इन्टरव्यू"** के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जायेगा।

3.6 अभ्यर्थियों के चयन मैरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

04. अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय/गैर शासकीय संस्था एवं शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ही मान्य किये जायेंगे।

05. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव एवं साक्षात्कार को जोड़कर मेरिट सूची जारी की जावेगी।

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें :-

06. आयु की गणना 01 जनवरी 2026 की स्थिति में की जावेगी, जो कि 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों का मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

07. चयनित सेवाप्रदाता तथा जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-नारायणपुर के मध्य 01 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने, योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

08. सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एकमुश्त राशि दी जावेगी एवं नियुक्त सेवाप्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों पालन करने बाध्य होंगे। अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

09. "सखी" वन स्टॉप सेंटर 24 घण्टे चलने वाली आपातकालीन सेवा है, अतः इस हेतु अवकाश की पात्रता सेवाप्रदाता के लिए नहीं होगा, अपरिहार्य स्थितियों में जिला कार्यक्रम अधिकारी इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे, जो कि मान्य होगा।

10 चयनित सेवाप्रदाता को स्थापित संस्था के 05 कि.मी. की परिधि में निवासरत रहना होगा तथा बुलाये जाने की स्थिति में समय पर उपस्थिति देना अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।

11 "सखी" वन स्टॉप सेंटर के क्रियान्वयन हेतु भारत शासन से जारी गाईड लाईन एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों एवं समय–समय पर सौंपे गये दायित्वों का पालन करने हेतु अनुबंधित होंगे।

12 इसी प्रकार सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड के 03 पद प्रावधानित हैं, जो कि 24x7 सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं, प्रत्येक गार्ड को 8–8 घंटे की ड्यूटी किया जाना होगा।

13. चयनित सेवाप्रदाता को स्वास्थ चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य में उपस्थित होने के 01 माह भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है। अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण तद्संबंधी प्रमाणपत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

15. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ – पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं **उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।**

16. कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रूपये 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

18. आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये **अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।**

19. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

20. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा,अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

21. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।

22. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट लिखा होना

चाहिये, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (इमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये।

23. आवेदक अपनी अर्हता जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

24. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता पंजीकरण के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

25. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में **"वॉक–इन–इन्टरव्यू"** तिथि को ही स्वीकार किया जायेगा एवं निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी /स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

26. अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

27. वाक–इन–इन्टरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

28. निर्धारित तिथि के पूर्व पंजीयन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

29. चयन के संबंध में कलेक्टर जिला – नारायणपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

30. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा सत्यापित
पासपोर्ट साईज फोटो

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला--नारायणपुर (छ०ग०)

1 आवेदित पद का नाम :-- ....

2 आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-- ....

आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :-- ....

3 पिता / पति का नाम :-- ....

4 स्थायी पता :-- ....

....

....

5 पत्र व्यवहार का पता :-- ....

....

........................मो.न....................................

6 जन्मतिथि (अंको में) :-- ....

शब्दों में :-- ....

7 दिनांक 01.01.2026 को आयु :-- ....

8 लिंग (पुरूष / महिला) :-- ....

9 जाति (अनु.जा. / अनु.ज.जा. / अ.पि.व. / अन्य) :-- ....

10 क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?..

11 आवेदक की वैवाहिक स्थिति :-- ....

12 शैक्षणिक योग्यता (जन्म तिथि एवं समस्त प्रमाण पत्रों की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

13 अन्य योग्यता का विवरण ....

14 अनुभव प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क0	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (दिनांक कब से कब तक)	अनुभव का वर्ष
1	2	3	4	5

(इसके अतिरिक्त कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक मे संलग्न कर सकते है।)

15 अनिवार्य संलग्नों की सूची :-

1. छत्तीसगढ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसाय पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र(पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
7 निवास प्रमाण पत्र।

16 अन्य प्रमाण पत्र (1.जाति प्रमाण पत्र, 2.जीवित रोजगार प्रमाण पत्र, 3.अन्य)

1...

2..

3..

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा -- पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और वि वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पाए जाते हैं तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान --

दिनांक --